

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 11/18

सरकार

बनाम

श्री : ~~धर्मासिंह पुत्र कमल~~  
~~जाति गुर्जर~~  
~~निवासी पावटा~~

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 30-07-18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री ~~धर्मासिंह~~ पुत्र श्री ~~कमल~~ जाति ~~गुर्जर~~ निवासी ~~पावटा~~ तहसील महवा ने संवत 2075 फसल रवि/ खरीफ मे ग्राम ~~गुर्जर (खेडिया)~~ की राजकीय आराजी खसरा नं. ~~129, 130~~ रकबा ~~0.20, 0.03~~ किस्म ~~जे. म. रास्ता~~ भूमि से ~~0.03, 0.01~~ रकबा पर अनाधिकृत रूप से ~~जोत लगाव मैडला~~ कब्जा कर अतिचार कर लिया है।


रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई टोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये ~~0.80~~ का ~~50~~ गुना ~~40 रु.~~ राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली / फसल नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर मा/प के पेज नं०... 107 ... पर  
वर्ष... 2018 ... में पेनल्टी/फसल नीलामी  
की राशि तादीली रूपसे... 40.20 ...  
की जमा कायमी धी गई।

  
तहसीलदार  
तहसील-महवा (दौसा)  
तहसील महवा जिला दौसा